web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 24 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 148

महत्वपूर्ण एवं खास

कुकरैल नाइट सफारी पर जल्द शुरू होगा काम

लखनऊ (आरएनएस)। लखनऊ में कुकरैल नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क के निर्माण का काम जल्द ही 50 करोड़ रुपए के प्रारंभिक बजटीय आवंटन के साथ शुरू होगा। वन अधिकारियों के अनुसार, हालांकि परियोजना की कुल लागत 1,600 करोड़ रुपए है, लेकिन बजटीय प्रावधान से वन विभाग निर्माण कार्य शुरू करने में सक्षम होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता दुबे ने कहा, परियोजना योजना को मंजूरी के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है और प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हमें उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में अनुमति मिल जाएगी। कुकरैल में 2027 हेक्टेयर भूमि पर नाइट सफारी व जू बनाया जाएगा। यह देश की पहली शहरी नाइट सफारी होगी और इकोटूरिज्म को बढ़ावा देने और राजस्व सृजन में मदद करेगी। लखनऊ चिड़ियाघर को भी नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

उप्र की राजधानी में चलेगा 'थूकना प्रतिबंधित है' अभियान

लखनऊ (आरएनएस)। लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) में जीआईएस-23 और जी20 आयोजनों के लिए किए गए सौंदर्यीकरण कार्य को संरक्षित करने के प्रयास में गुरुवार से 1 मार्च तक 'थूकना प्रतिबंधित है' शीर्षक से एक विशेष अभियान चलाएगा। एलएमसी आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक बयान में कहा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जाने वाले अभियान में खुले इलाकों में थूकने या पेशाब करने/शौच करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। अपराधियों को 'श्री या सुश्री/श्रीमती पीकू' की उपाधि दी जाएगी। उन पर उत्तर प्रदेश अपशिष्ट (प्रबंधन संचालन और स्वच्छता) नियम 2021 के तहत 250 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सिंह ने आगे कहा कि अभियान के लिए पुलिस, एनजीओ और स्थानीय लोगों की मदद ली जाएगी। एलएमसी आयुक्त ने कहा, हम रेडियो/सार्वजनिक घोषणा के माध्यम से खुले में न थूकने/पेशाब करने या खुले में शौच करने के संदेश का भी प्रचार करेंगे। इसके अतिरिक्त, बसों पर बोर्ड और होर्डिंग भी इसी संदेश के साथ लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान के प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट और टी-शर्ट वितरित किए जाएंगे।

उल्फा-आई के सदस्य ने असम पुलिस के सामने सरेंडर किया

गुवाहाटी (आरएनएस)। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के एक सदस्य ने असम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अनुसार, बिक्रमजीत चेतिया उर्फ रंजीत असोम के रूप में पहचाने जाने वाला कैडर बुधवार को असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर पहुंच गया। वह म्यांमार में संगठन के गुप्त ठिकाने से आ रहा था। डिब्रूगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक श्वेतांक मिश्रा ने कहा, चेतिया चबुआ क्षेत्र का मूल निवासी है। वह पिछले साल जुलाई में उल्फा-आई शिविर में शामिल हुआ था। उसे म्यांमार के सागियांग प्रांत में स्थित प्रतिबंधित संगठन के शिविर में प्रशिक्षित किया गया था और बाद में मुख्यालय में तैनात किया गया था। हालांकि, उल्फा-आई में शामिल होने के तुरंत बाद, वह हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का इच्छुक था। पुलिस को चेतिया के परिजनों व रिश्तेदारों से सूचना मिली। मिश्रा ने कहा, जब पुलिस ने उसे सहायता के लिए प्रतिबद्ध किया, तो चेतिया ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। वह बिना किसी हथियार या गोला-बारूद के वापस आ गया।

प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कोण्डागांव में ले रहा आकार

- 140 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा मक्का से एथेनॉल बनाने का प्रसंस्करण प्लांट
- 45 हजार किसानों को सीधे लाभ के साथ 200 स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
- माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति करेगी प्लांट का संचालन

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप कोण्डागांव जिले के कोकोड़ी में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनाल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट जून 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट जिले के मक्का उत्पादक किसानों की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा। इससे करीब 45 हजार से ज्यादा किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही समीपस्थ अन्य जिले के मक्का उत्पादक किसानों के मक्का का प्रसंस्करण किया जाएगा। साथ ही मक्का प्रसंस्करण प्लांट में क्षेत्र के लगभग 200 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति में कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना को विशेष प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। कोण्डागांव जिले में 140 करोड़ रूपए लागत से बन रहा मक्का प्रोसेसिंग प्लांट किसानों का जीवन संवारेगा। राज्य सरकार के सहयोग से सहकारिता के क्षेत्र में यह पहला प्लांट स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोण्डागांव जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस प्लांट की स्थापना से किसानों को मक्का का अधिकतम मूल्य मिलने की उम्मीद है। प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण का लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। यह प्लांट कोण्डागांव में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ग्राम कोकोड़ी में तैयार हो रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का संचालन माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा। यह प्लांट ग्राम कोकोड़ी में 14 एकड़ शासकीय भूमि पर बन रहा है। इस प्लांट में मक्के की आपूर्ति के लिए लगभग 45 हजार किसानों का पंजीयन किया गया है। प्लांट में प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन मक्का की प्रोसेसिंग होगी, जिससे 80 हजार लीटर एथेनॉल तैयार होगा। इस प्लांट के लग जाने से निजी निवेशकों द्वारा अन्य सहायक उद्योग लगाने के लिए नया वातावरण बनेगा। कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोड़ी में बनाए जा रहे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में कूलिंग टॉवर और बॉसिंग वॉल सहित अन्य कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। स्टील बाईडिंग वर्क का काम प्रगति पर है। साथ ही फरमनटेशन कूलिंग टॉवर का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। प्लांट के वेयर हाउस निर्माण का काम भी जारी है। बॉयलिंग सेक्शन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। बॉलिंग सेक्शन का सिविल कार्य लगभग 60 से 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार इएसपी सेक्शन के लिए भी सिविल सेक्शन पूर्ण हो चुका है और टरबाईन का 80 प्रतिशत काम भी पूर्ण हो चुका है। इस प्लांट में फरमनटेशन टैंक का निर्माण का कार्य चल रहा है। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए पर्यावरण विभाग और भू जल उपयोग के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। पीईएसओ तथा आईईएम से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

कोण्डागांव जिले में 3.48 लाख मीट्रिक टन उत्पादन- कोण्डागांव जिले में बीते तीन-चार सालों में खरीफ और रबी दोनों सीजन में मक्का उत्पादन को काफी बढ़ावा मिला है। प्लांट की स्थापना से उत्साहित किसान मक्का का रकबा साल दर साल बढ़ा रहे है। वर्तमान में कोण्डागांव जिले में प्रति वर्ष 3 लाख 48 हजार 127 मेट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है।

किसानों की अंश पूंजी 7.06 करोड़ रूपए- स्टेट प्रोजेक्ट फाईनेंस कमेटी द्वारा मक्का से एथेनॉल निर्माण के लिए प्रोसेसिंग प्लांट को फिजीबल पाया गया था। लगभग 140 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्लांट के निर्माण में किसानों ने 7.06 करोड़ रूपए की अंश पूंजी का योगदान दिया है। इसी प्रकार मंडी बोर्ड द्वारा 21.19 करोड़ रूपए और राज्य शासन द्वारा 35.32 करोड़ रूपए तथा सहकारी संस्था के स्वयं की निधि से 2.10 करोड़ रूपए दिए हैं। शेष 75 करोड़ रूपए बैंक ऋण के माध्यम से जुटाएं गए हैं।

कोण्डागांव जिले में समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन के लिए 47 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। जिले के कोण्डागांव माकड़ी, फरसगांव, बड़ेराजपुर विकासखण्ड में मक्के का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मक्का खरीदी का कार्य छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जा रहा है। मक्का उत्पादक किसानों को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।

कोण्डागांव जिले में खरीफ सीजन में एक लाख 24 हजार 188 तथा रबी सीजन में 2 लाख 23 हजार 929 टन मक्का का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादन से जिले के लगभग 65 हजार किसान जुड़े हुए हैं।

प्लांट में उत्पादित होने वाला एथेनॉल इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को विक्रय किया जाएगा। जिसे पेट्रोल के साथ मिक्स कर बेचा जाएगा। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी साथ ही किसानों को मक्का का वाजिब दाम भी मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट से पनीरसेल्वम को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ही हैं एआईएडीएमके के असली स्वामी

नई दिल्ली (आरएनएस)। एआईएडीएमके पार्टी में नेतृत्व विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले से विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेकेट्री बनाए रखने के फैसले को बरकरार रखा है। 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर नोटिस जारी किया था। पनीरसेल्वम ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। एडप्पादी पलानीस्वामी को अंतरिम जनरल सेकेट्री के रूप में जारी रखने की अनुमति देने को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी की ओर से इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया था जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई करने तक जनरल सेकेट्री का चुनाव नहीं होगा। पलानीस्वामी की ओर से पेश सी आर्यमा सुंदरम ने कहा था कि जब तक मामले का अंतिम रूप से फैसला नहीं हो जाता, तब तक जनरल सेकेट्री का कोई चुनाव नहीं होगा।

ओपीएस ने मद्रास हाईकोर्ट की पीठ द्वारा पारित 2 सितंबर 2022 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसने एआईएडीएमके नेतृत्व के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए एकल पीठ के आदेश को उलट दिया क्योंकि ये आदेश अंतरिम जनरल सेकेट्री के रूप में एडप्पादी पलानीसामी के चुनाव से पहले दिया था।

यूफ्लेक्स कंपनी के 70 से ज्यादा ठिकानों पर रेड जारी, 150 करोड़ रुपए की हेरफेरी का मामला

नोएडा (आरएनएस)। यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर मंगलवार को शुरू हुई इनकम टैक्स की जांच का दायरा बढ़ गया है। देशभर में कंपनी के 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसमें नोएडा में सबसे ज्यादा 32 ठिकाने हैं। अभी तक की जांच में दिल्ली एनसीआर में 1.50 करोड़ का कैश मिला है। टीम ने कैश जब्त कर लिया है। सूत्रों से पता चला है कि जांच में इनकम टैक्स अधिकारियों को करोड़ों के फेक ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। जम्मू में भी संदिग्ध लेनदेन के दस्तावेज मिले हैं। वहीं, 10 सेल कंपनियां भी मिली हैं। एनसीआर की बात करें तो यहां पर करीब 600 टीम और बाहर करीब 150 टीम सर्च कर रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक, 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के फेक ट्रांजैक्शन मिले हैं। लेनदेन करने वालों में एक पक्ष ने ये बताया है कि ट्रांजैक्शन फेक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आंकड़ा 500 करोड़ रुपए तक जा सकता है। वहीं, 15 लॉकर मिले हैं, जिनको जल्द खुलवाया जाएगा।

हैरानी की बात ये है कि 20 अकाउंट ऐसे मिले है जो बहुत ही गरीब तबके के लोगों के हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं, जिनके मकान एक कमरे के हैं। इन लोगों के खातों से 5 से 50 करोड़ रुपए तक ट्रांजैक्शन के दस्तावेज मिले हैं।

सर्च के दौरान जम्मू में करीब 100 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज मिले है। इनकी जांच की जा रही है। इसके साथ नोएडा के सेक्टर-4 और 57 की फैक्ट्री में 150 संदिग्ध दस्तावेज मिले है। ग्रुप की 10 फैक्ट्रियां विदेश में भी है। इसके ट्रांजैक्शन भी खंगाले जा रहे है। मनी लॉड्रिंग के संकेत भी मिले हैं।

सूत्रों के मुताबिक, यूफ्लेक्स कंपनी ने इनवेस्टर्स समिट के लिए भी करीब 600 करोड़ के एमओयू साइन किए है। जिसमें उनको दो प्लाटों पर नोएडा में निवेश भी करना है। यूफ्लेक्स लिमिटेड कंटेनरों और पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन (मार्केट वैल्यू) 3,509 करोड़ है। कंपनी की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी।

रिम्स में डॉक्टरों-नर्सों की हड़ताल से 28 मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा- परिजनों को मुआवजा मिला या नहीं?

रांची (आरएनएस)। जून 2018 में रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स में जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के दौरान 28 मरीजों की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में उसके स्तर से क्या कार्रवाई हुई और जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों को मुआवजा मिला या नहीं? हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

याचिका झारखंड छात्र संघ की ओर से दायर की गई थी। इसमें बताया गया है कि 1 जून 2018 को रिम्स में एक पेशेंट की मृत्यु कथित रूप से गलत ट्रीटमेंट की वजह से हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने प्रोटेस्ट किया था। इसे लेकर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों और मृतक के परिजनों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद रिम्स में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों ने स्ट्राइक कर दिया था।

स्ट्राइक के दौरान रिम्स में संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस दौरान करीब 35 मरीजों का ऑपरेशन टल गया। 600 से ज्यादा मरीज रिम्स से बगैर इलाज के वापस लौट गए। इलाज के बिना 28 मरीजों की भी मौत भी हुई थी।

मामले को लेकर कोतवाली थाना में जिम्मेदार जूनियर डॉक्टरों एवं नर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों को नोटिस दिए जाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में इस पूरे मामले की जांच कमेटी बनाकर करने और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है।

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक तौर पर कहा कि रिम्स जैसे अस्पताल में मरीजों का उपचार अनिवार्य सेवा के अंदर आता है। ऐसे में चिकित्सकों एवं नर्सों की स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने, उनके पुनर्वास करने आदि पर कोई पहल हुई या नहीं, हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टरों एवं नर्सों पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 मार्च निर्धारित की। कोर्ट में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने दलीलें पेश की।

रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने विमान से उतारा, कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस महाधिवेशन में हिस्सा लेने रायपुर जा रहे पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को यहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर विमान में नहीं बैठने दिया और उन्हें कथित तौर पर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस महाधिवेशन के लिए इसी विमान से रायपुर जा रहे हैं पार्टी नेताओं को जैसे ही इसकी खबर मिली तो सभी विमान से बाहर आ गये और इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया ,आज इंडिगो की फ्लाइट 6ई-204 से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में बैठ चुके थे, उसी वक्त हमारे नेता पवन खेड़ा जी को फ्लाइट से उतरने को कहा गया। ये तानाशाही है। तानाशाह ने अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया। पहले छत्तीसगढ़ में नेताओं के यहां ईडी को भेजा। अब, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे हमारे नेता को टोका गया। ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगीज् हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया,पहले ईडी ने रायपुर में छापामारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज़ से उतारा गया है।

फिलिस्तीनियों पर इस्राइली सैनिकों का कहर, 11 को उतारा मौत के घाट- 100 से अधिक घायल

यरूशलेम। इजरायली सैनिकों ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नब्लस पर एक रेड के दौरान कम से कम तीन बंदूकधारियों और 4 नागरिकों सहित 11 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार डाला। इस दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी में 100 से अधिक लोगों को घायल भी हुआ हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस्राइली सेना ने नब्लस में अभियान की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले की योजना बनाने के संदेह में फिलिस्तिनी उग्रवादियों को हिरासत में लेने की कोशिश के दौरान सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। सेना के एक बयान में कहा गया है कि कोई इस्राइली हताहत नहीं हुआ।

फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट ने कहा कि उसके दो नब्लस कमांडरों को इस्राइली सैनिकों द्वारा एक घर में घेर लिया गया था, जिससे अन्य बंदूकधारियों में संघर्ष शुरू हो गया। धमाकों की आवाज आई और स्थानीय युवकों ने चट्टानों के साथ बख्तरबंद टुकड़ी के परिवहन पर पथराव किया।

फिलिस्तीनी सूत्रों ने कहा कि दो इस्लामिक जिहाद कमांडर एक अन्य बंदूकधारी के साथ मारे गए। मरने वालों में चार नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें एक 72 वर्षीय व्यक्ति और एक 14 वर्षीय लडक़ा शामिल है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि छापे के दौरान गैस की वजह से पीड़ित 66 वर्षीय एक व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा कि 100 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं।

वकीलों को सफेद बैंड, लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट और पैंट पहनना होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला अदालतों में मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय वकील को सफेद पट्टी (बैंड) पहननी चाहिए और लॉ इंटर्न को काली टाई, कोट, पैंट और सफेद शर्ट के ड्रेस कोड का पालन करना होगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि शाहदरा बार एसोसिएशन (एसबीए) का सर्कुलर इंटर्न को नीला कोट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के प्रस्ताव में इंटर्न के लिए काली टाई, कोट, पैंट और एक सफेद शर्ट अनिवार्य है।

अदालत एसबीएस के सर्कुलर को चुनौती देने वाले हार्दिक कपूर नाम के दूसरे वर्ष के कानून के छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विभिन्न संघों के सभी इंटर्न के लिए एक समान कपड़े निर्धारित करने के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को एसबीए के प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी और बीसीडी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार संघों और अन्य हितधारकों की बैठक आयोजित करने के लिए कहा था, ताकि इस बात पर आम सहमति बन सके कि वर्दी कानून के इंटर्न को क्या पहनना चाहिए।

उन्होंने कहा था, इंटर्न की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों की सहमति से एक समान

नीति बनाई जानी चाहिए। एक समान वर्दी निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि अगर अलग-अलग संघ अलग-अलग वर्दी निर्धारित करते हैं तो इंटर्न को असुविधा होगी।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीसीडी ने 16 दिसंबर को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उसने दुख जताया है कि इंटर्न के लिए खास बात यह है कि यह काली टाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट उज्जवल घई ने कहा कि एसबीए सर्कुलर कानून के अधिकार के बिना है क्योंकि वकीलों और इंटर्न की वर्दी के संबंध में नियम बनाना बीसीडी का विशेषाधिकार है, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑफ एजुकेशन, 2008 के नियम 27 को पहले ही बना रखा है जो वर्तमान में लागू है।

सुनवाई के बाद, न्यायाधीश सिंह ने कहा कि इस मामले में एसबीए का सर्कुलर रद्द करना होगा और याचिका का निस्तारण कर दिया। इंटर्न को वकीलों से अलग करने के लिए, एसबीए ने 24 नवंबर को दिल्ली के कडक़डडूमा कोर्ट में इंटर्न को काला कोट पहनने से प्रतिबंधित करने का फैसला पारित किया था। उन्हें एक दिसंबर से सफेद शर्ट, नीला कोट और पतलून पहनने को कहा गया था। एसबीए ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रहने पर इंटर्न को अदालतों में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।